रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1259] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936
No. 1259] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1516(अ).–केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 16 सितंबर, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2794 (अ), दिनांक 16 सितंबर, 2013 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है ।

[फा. सं. एनएच-14013/11/2013-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2014

S.O. 1516(E).— In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2794 (E), dated the 16th September, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 16th September, 2013, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/11/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1517(अ).– केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

तालिका

(1)	(2)	(3)
"3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 [किमी 963.000 से किमी 1126 (रारा-31सी/31-नलबाड़ी गुवाहाटी जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], सं. 31बी, सं. 36 [किमी 0.000 से किमी 38.000 (दाबोका से नगांव खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 37 [किमी 146.000 से किमी 274.000 (गुवाहाटी बाइपास सहित गुवाहाटी से नगांव) तक खंड को छोड़कर], सं. 37ए, सं. 38, सं. 39, सं. 44, सं. 51, सं. 52 [किमी 345.000 से किमी 510.000 (नार्थ लखीमपुर से जोनाई खंड) और किमी 845.000 से किमी 876.000 (रूपाई से सीतापानी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 52ए, सं. 52बी, सं. 53, सं. 61, सं. 151, सं. 152, सं. 153, सं. 154, नई रारा सं. 315ए, नई रारा सं. 127बी, नई रारा सं. 127सी और नई रारा सं. 127डी के उतने भाग जो कि असम राज्य में अवस्थित हैं ।	असम राज्य सरकार".

- असम राज्य में रारा-37 के किमी 403.20 से किमी 580.978 (नुमाजीगढ़ - डिब्रूगढ़ खंड) तक का खंड निर्माण पूर्व कार्यकलापों के लिए असम राज्य सरकार को सौंप दिया गया है ।

[फा. सं. एनएच-14013/11/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3 उप खंड-(ii) के सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 1044(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2014

S.O. 1517(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
"3	So much of National Highways No. 31 [excluding Km. 963.000 to Km. 1126 (Junction of National Highways 31C/31-Nalbari Guwahati)], No. 31B, No. 36 [excluding from Km. 0.000 to Km. 38.000 (section from Daboka to Nagaon)], No. 37 [excluding from Km. 146.000 to Km. 274.000 (Guwahati to Nagaon including Guwahati Bypass)]*, No. 37A, No. 38, No.39, No. 44, No. 51, No. 52 [excluding from Km.345.000 to Km. 510.000 (section from North Lakhimpur to Jonai) and from Km. 845.000 to 876.000 (section from Rupai to Sitapani)] , No. 52A, No. 52B, No. 53, No. 61, No. 151, No. 152, No. 153, No. 154, new NH No.315A, new NH No.127B, new NH No.127C and new NH No.127D as are situated within the State of Assam	State Government of Assam".

- The stretch from km. 403.20 to km. 580.978 (Numaligarh-Dibrugarh section) of NH-37 in the State of Assam is entrusted to State Government of Assam for pre-construction activities.

[F. No. NH-14013/11/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1044 (E), dated the 7th April, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.